

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2014

(आयकर)

का.आ. 2815(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा (1) एवं (2) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा यह निदेश देता है कि:—

(क) संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्त, जिनके मुख्यालय उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट स्थानों पर हैं, उक्त अनुसूची के तत्संबंधी स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी) और उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी) प्रादेशिक क्षेत्रों या ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कार्यों का निष्पादन करेंगे, जिसमें उनका क्षेत्राधिकार निहित है।

"अनुसूची"

क्र.सं.	आयकर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी
1	2	3	4
1.	आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण)-1, दिल्ली	दिल्ली	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(1), दिल्ली
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(1)(1), दिल्ली
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(1)(2), दिल्ली
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(2), दिल्ली
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(2)(1), दिल्ली
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(2)(2), दिल्ली
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(3), दिल्ली

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2(3)(1), कोच्चि
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2(3)(2), कोच्चि
13.	आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण), चेन्नई	चेन्नई	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1, चेन्नई
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(1), चेन्नई
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(2), चेन्नई
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2, चेन्नई
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2(1), चेन्नई
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3(1), चेन्नई
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3, चेन्नई
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3(1), चेन्नई
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3(2), चेन्नई
14.	आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण), हैदराबाद	हैदराबाद	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-, हैदराबाद
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1, हैदराबाद
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2, हैदराबाद
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3, हैदराबाद

यह अधिसूचना 15 नवम्बर, 2014 से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 58/2014 फा.सं.187/29/2014(आईटीए-1)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक